हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गयी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर गुडामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 134/2022

वादी

1. आंजणा युवा विकास संस्थान गुड़ामालानी
   जरिये अध्यक्ष रावताराम पुत्र मालाराम जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जैरूपाराम पुत्र रायमलराम
2. आसूराम पुत्र जवानाराम
3. छोगाराम पुत्र रूगाराम
4. धूकाराम पुत्र जवानाराम
5. पांचाराम पुत्र जवानाराम
6. मगाराम पुत्र रायमलराम
7. मालाराम पुत्र रायमलराम
   जाति रबारी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते कब्जा प्राप्त करने एवं निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.03.2023

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 व 209 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एक संस्थान है जिसकी खातेदारी का खेत तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र आलपुरा के ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वादी की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 215/11 के उत्तर–पश्चिमी सेढे पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 215/4 आया हुआ है। करीबन डेढ वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादी के उत्तरी–पश्चिमी सेढे की माठ तोड़कर वादी के खेत खसरा नम्बर 215/11 में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया तब वादी ने [illegible]जीज लोगों से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को समझाईश करवाई तब प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने कहा कि वादी अपने [illegible] की [illegible] करवा ले जिस पर वादी ने अपने खेत की नेखमबंदी करवाई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए छः माह पूर्व अन्य 20–25 लोगों की सहायता से वादी के खसरा नम्बर 215/11 के रकबा 1–00 बीघा परअनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कानून को हाथ में लेकर वादी की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:30:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

खसरे की भूमि को दबाने व हड़प करने की नीयत से वादी की बनी पुरानी बाड़ में घुस कर वादी की भूमि में बाड़ तोड़कर रातों–रात कब्जा कर लिया है, जिसे परिशिष्ट–"ए" के साथ बरंग लाल से दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश किया है।

वाद दिनांक 15.11.2022 को दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी द्वारा वादी के वाद पत्र को सावित करने के लिये वादी की मौखिक साक्ष्य में गवाह PW-1 रावताराम, PW-2 जवानाराम को उपस्थित बयान कलमबद्ध करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2076–2079 ग्राम आलपुरा खसरा नम्बर 215/11, प्रदर्श–2 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा नम्बर 215/11, प्रदर्श–3 परिशिष्ट–"अ" प्रदर्श–4 व 5 विवादित खसरा नम्बर 215/11 के सम्बन्ध में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 1264 दिनांक 21.07.2022 द्वारा पेश की गई नेखमबन्दी कार्यावाही की प्रमाणित प्रतियां पदर्शित करवाये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 1264 दिनांक 21.07.2022 द्वारा प्राप्त वादी के खेत खसरा नम्बर 215/11 के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2022 को की गई नेखमबन्दी कार्यवाही रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित साक्ष्य का गहराई से अवलोकन व अध्यान किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी की खातेदारी भूमि ग्राम आलपुरा के खेत खसरा संख्या 215/11 की भूमि पर उत्तरी–पश्चिमी सेढे को तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया है जिसे हटाने के लिये बार–बार वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहने के उपरान्त भी कब्जा नहीं हटाया गया है तथा प्रतिवादीगण के कहे अनुसार वादी द्वारा उक्त खसरा की भूमि की [illegible]न्दी भी करवाई जा चुकी है जिसकी मौका रिपोर्ट [illegible] प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है। [illegible] पुष्टि तहसीदार रिर्पोट कमांक 1264 दिनांक 21.07.2022 द्वारा होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार विवेचन से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि के उत्तरी पश्चिमी सेढे पर करीबन 1—00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को वादी हटवाने एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि पर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांक 1264 दिनांक 21.07.2022 के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A K J प्रतिवादीगण के अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांक 1264 दिनांक 21.07.2022 मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....[illegible]........ को मजमेआम राजस्व लोक अदालत केम्प गांधव कला में खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(औ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

आज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादी

1. आंजणा युवा विकास संस्थान गुड़ामालानी
जरिये अध्यक्ष रावताराम पुत्र मालाराम जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जैरूपाराम पुत्र रायमलराम
2. आसूराम पुत्र जवानाराम
3. छोगाराम पुत्र रूगाराम
4. धूकाराम पुत्र जवानाराम
5. पांचाराम पुत्र जवानाराम
6. मगाराम पुत्र रायमलराम
7. मालाराम पुत्र रायमलराम
जाति रबारी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वास्ते कब्जा प्राप्त करने एवं निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या – 134/2022 निर्णय दिनांक : 31.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ... अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/11 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि पर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांक 1264 दिनांक 21.07.2022 के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु A K J प्रतिवादीगण के अतिक्रमण को नियमानुसार हटबाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांक 1264 दिनांक 21.07.2022 मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/3/2023 को जारी की गई।

मुहर

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी

क्रमांक : 272 दिनांक : 04.04.2023

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested